

सबका होगा अपना घर

ओमेक्स वाटरफ्रंट हाई-टेक टाउनशिप नैनी
प्रयागराज में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु किफायती

आवासीय योजना

(OMAXE EWS/LIG 3) के अन्तर्गत

चद्वरीखरा / प्रगति सिंह
आजाद एवरलेट (E.W.S.) / एवरलेट (L.I.G.)

रेंडर निबंधित प्रोजेक्ट

पंजीकरण पुस्तिका



वास्तुविद् परिकल्पना का चित्र

RERA Regn. No.:
UPRERAPRJ17030

पंजीकरण पुस्तिका विक्रय मूल्य
₹. 300/- मात्र (जी.एस.टी. सहित)

विवरण पुस्तिका

इस बुकिंग फार्म में वर्णित सभी विषय वस्तु, नियम व शर्तें भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहाँ तक संशोधन करना समीचीन होगा। और यदि आवश्यक हुआ तो भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

1. योजना का विवरण

प्रस्तावित योजना – **ओमेक्स वाटरफॉन्ट हाई-टेक टाउनशिप, नैनी प्रयागराज**
विकासकर्ता कम्पनी – पंचम रियलकान प्रा.लि.

2. भवनों के नाम

चन्द्रशेखर आजाद एनकलेव – ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)
भगत सिंह एनकलेव – एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)

3. पंजीकरण हेतु प्राप्तता

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास प्रयागराज विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।
- आवेदक को ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय क्रमशः ₹0 3,00,000/- व ₹0 6,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)।
- आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना होगा।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण

भवनों के प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया)	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (कारपेट एरिया)	भवनों की संख्या	भवनों के तलों की संख्या	अनुमानित विक्रिय मूल्य (₹0)	पंजीकरण धनराशि (₹0) (पूर्णांक में)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर देय धनराशि प्रतिशत (%) में	अवशेष 90% धनराशि की भुगतान पद्धति
चन्द्रशेखर आजाद एनकलेव ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)	35.95 37.07	28.06 28.06	116 152	G + 8 G + 9	₹5,88,266 ₹6,06,593	₹30,000 ₹30,000	अनुमानित विक्रिय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि घटाकर)	बारह समान त्रैमासिक किश्तों में
भगत सिंह एनकलेव एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग)	41.34 42.18	32.89 32.89	60 120	G + 9	₹11,54,941 ₹11,78,410	₹58,500 ₹58,500	अनुमानित विक्रिय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि घटाकर)	बारह समान त्रैमासिक किश्तों में

नोट :

- प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 6 से 11 पर उपस्थित मानवित्रों के साथ दी गयी है।
- उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके अन्तर्गत तथा समाज के विकलांग द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- उपरोक्त फलौटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
- आवंटन के पश्चात वांछित / देय धनराशि एवं किस्ते निर्धारित अवधि में ई.डब्लू.एस. आवंटी एवं एल.आई.जी. आवंटी द्वारा जमा न करने पर देय धनराशि पर क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत वर्षिक साधारण व्याज देय होगा अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत इस संबंध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा।
- विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।
- भूतल पर भवनों के मूल्य का 5%, प्रथम तल पर 4% एवं द्वितीय तल पर 3%, अतिरिक्त देय होगा।
- प्रस्तावित चन्द्रशेखर आजाद एनकलेव ई.डब्लू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों में 35.95 व 37.07 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, भवन में एक लिविंग / बैडरुम हेतु कक्ष, टॉयलेट व किचन स्पेस है तथा भगत सिंह एनकलेव एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों में 41.34 व 42.18 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है, व भवन में एक लिविंग रुम, एक बैडरुम, टॉयलेट व किचन स्पेस है।
- विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।
- आवंटी निर्माण की अवधि में आकर निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण कर सकता है।

5. छूट

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के पश्चात पूर्ण भुगतान करने पर सूचित विक्रय मूल्य 90% की धनराशि पर 10% की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जाएगी। छूट की धनराशि को अंतिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों/नाम निर्देशिती (इस सम्बन्ध में प्रचलित सुसंगत अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार), को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

7. आरक्षण

7.1 शासनादेश के अनुसार चन्द्रशेखर आजाद एनक्लेव (ई.डब्लू.एस.) तथा भगत सिंह एनक्लेव (एल.आई.जी.) श्रेणी में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा:—

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक / सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, भूतपूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हॉरिजोन्टल

7.2 प्रार्थना—पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का प्रमाण—पत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

7.3 चन्द्रशेखर आजाद एनक्लेव (ई.डब्लू.एस.) तथा भगत सिंह एनक्लेव (एल.आई.जी.) हेतु प्रार्थना—पत्र का प्रारूप संलग्न है। सभी भवन सामान्य श्रेणी के होंगे।

7.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा।

7.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

7.6 आरक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

7.8 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

7.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

7.10 बिन्दु 7.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण—पत्र संलग्न करें।

7.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

7.12 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तें में संशोधन किये जाएंगे।

7.13 प्रधानमन्त्री आवास योजना के दिशा निर्देश/नियम शर्तें भी यदि इस योजना पर लागू होती है तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।

8. आवंटन

- 8.1 भवनों का आंवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।
- 8.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाईट www.omaxe.com पर उपलब्ध होगा।
- 8.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी मे नहीं आते हैं उनका प्रार्थना—पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी मे निहित रहेगा।
- 8.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन—पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।
- 8.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन—पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय मे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8.6 यदि आवंटी के पते मे कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।
- 8.7 आवंटन की तिथी से 5 वर्ष तक आवंटी द्वारा भवन का अंतरण प्रतिबंधित रहेगा।

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

- 9.1 असफल आवेदको का आवंटन न होने की दशा मे 30 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेशी वेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 9.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर 10 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जोकि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ले। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

11. फ्री—होल्ड शुल्क

विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटित भवन की भूमि का फ्री—होल्ड के रूप मे भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत अनुबन्ध / निबन्धन के पूर्व देय होगा।

12. फ्लैट्स का कब्जा :

- 12.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।
- 12.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 12.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि मे विक्रय विलेख न करने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम् तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 12.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय, दैविक आपदा एवं ऐसी समस्त परिस्थितियाँ जोकि विकासकर्ता के उचित नियंत्रण के परे हों, आदि अपरिहार्य स्थिति मे बढ़ सकता है।
- 12.5 आवंटन की तिथि के 3 वर्ष के भीतर भवन पूरा कर पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को भवन का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा।
- 12.6 आवंटन की तिथि से 3 वर्ष मे भवन का निर्माण न होने पर अर्थात डिफाल्ट की स्थिति मे आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि का 15% अथवा रेरा अनुसार निर्धारित वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी अथवा तत्समय प्रवर्तनशील भू—सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध मे प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगी।
- 12.7 यदि आवंटी द्वारा अनुबन्ध निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और समय से धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है अथवा किसी कारणवश आवंटी द्वारा धनराशि वापस करने का आवेदन दिया जाता है तो पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त जमा धनराशि वापस की जायेगी।
- 12.8 आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह हाईटेक टाउनशिप क्षेत्र मे जनसामान्य के लिए उपलब्ध जन—सुविधाएं जैसे पार्क, हास्पिटल, पोस्ट—ऑफिस, स्कूल, एटीएम, बैंक इत्यादि का लाभ प्राप्त कर सके।

13. शुल्क / कर आदि की वेयता :

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

14. अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

14.1 आवेदन के पश्चात् प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय—समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

14.2 आवेदन—पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

14.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र प्रयागराज होगा।

15. पंजीकरण प्रक्रिया :

15.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रु0 300.00 (जी.एस.टी. सहित) नगद भुगतान पर कार्य दिवसों में निर्दिष्ट एक्सिस बैंक शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

15.2 पंजीकरण प्रपत्र ओमेक्स लिमिटेड की वेबसाइट www.omaxe.com से डाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं, ऐसे आवेदन पत्रों पंजीकरण धनराशि के साथ पंजीकरण प्रपत्र हेतु रु0 300.00 (जी.एस.टी. सहित) का अलग से भुगतान करना होगा।

15.3 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक 15 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में एक्सिस बैंक लिमिटेड की लखनऊ, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, रेनुकूट, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कुंडा, चंदौली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज (शहरी क्षेत्र) की सभी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

16. विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन—पत्र पूर्ण रूपेण भरे।

16.1 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2019 होगी।

16.2 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ—पत्र के प्रारूप का रु0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

16.3 पूर्ण रूप से भरे आवेदन—पत्र बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में अंतिम तिथि से पूर्व कार्य दिवसों में जमा किये जा सकते हैं।

16.4 पंजीकरण धनराशि का ड्राफ्ट/पे—आर्डर, PANCHAM REALCON PVT. LTD. PROJECT-EWS/LIG-3, PRAYAGRAJ के पक्ष में देय होगा।

17. पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक : जहाँ पंजीकरण फार्म प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं।

17.1 एक्सिस बैंक लिमिटेड की लखनऊ, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, रेनुकूट, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कुंडा, चंदौली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज (शहरी क्षेत्र) की सभी शाखाओं से।

18. आवेदन—पत्र भरने के लिये अनुदेश :

18.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

18.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।

18.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन—पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

18.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल पता दिया जाना अनिवार्य होगा।

18.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन—पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।

19. भुगतान पद्धति :

- 19.1 नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 45 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान)
- 19.2 स्ववित्त पोषित (आवंटन राशि के पश्चात् अवशेष 90 धनराशि बारह सामान त्रिमासिक किश्तों में भुगतान)

20. जाँच—सूची (CHECK LIST)

फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्य जाँच लें।

CHECK LIST (जाँच—सूची)

1. आवेदन—पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है?
2. आवेदन—पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर हैं?
3. बुकिंग धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है?
4. आवेदक की आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है?
5. मूल निवासी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है?
6. शपथ—पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी द्वारा सत्यापित है?

સ્ટાઇટ પ્લાન



ચલ્દોરાય આજાદ જાળતાર (ફે. ડલ્ફ્ટ્યુ. એસ.)

અગત સિંહ (એલ. આર્ટ. જી.)

चन्द्रीखर आजाद एवं लोत (EWS)

ई.डब्लू.एस. यूनिट प्लान

(Tower-A)



(Tower-B)




बिल्टअप एरिया	35.95 व 37.07 वर्ग मीटर
कारपेट एरिया	28.06 वर्ग मीटर

चद्दशेखर
आजाद
(EWS)

ई.डब्लू.एस. यूनिट प्लान

(Tower-A)



मिडिल यूनिट प्लान – यूनिट संख्या
2, 3, 6, 7, 10, 11,
14, 15 के लिए

बिल्टअप एरिया | 35.95 वर्ग. मी.

कारपेट एरिया | 28.06 वर्ग. मी.

कार्नर यूनिट प्लान – यूनिट संख्या
1, 4, 5, 8, 9, 12,
12A, 16 के लिए


बिल्टअप एरिया | 37.07 वर्ग. मी.

कारपेट एरिया | 28.06 वर्ग. मी.

चद्दशेखर
आजाद
(EWS)

ई.डब्लू.एस. यूनिट प्लान

(Tower-B)



मिडिल यूनिट प्लान – यूनिट संख्या
2, 5, 8, 11 के लिए

बिल्टअप एरिया	35.95 वर्ग. मी.
---------------	-----------------

कारपेट एरिया	28.06 वर्ग. मी.
--------------	-----------------

कार्नर यूनिट प्लान – यूनिट संख्या
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 के लिए

बिल्टअप एरिया	37.07 वर्ग. मी.
---------------	-----------------

कारपेट एरिया	28.06 वर्ग. मी.
--------------	-----------------

अगत सिंह

एल.आई.जी. यूनिट प्लान



बिल्टअप एरिया	41.34 व 42.18 वर्ग मीटर
कारपेट एरिया	32.89 वर्ग मीटर

મગત સિંહ

(એવાંગલેટ
એવાંગ)

એલ.આઈ.જી. યુનિટ લાન



TYPICAL FLOOR PLAN (L1G)

યુનિટ લાન – યુનિટ સંખ્યા 1,3,4,6,7,910, 12,12A,15,16, એવ 18 કે લિએ
બિલ્ડઅપ એરિયા 42.18 વર્ગ મીટર
કારપેટ એરિયા 32.89 વર્ગ મીટર

યુનિટ લાન – યુનિટ સંખ્યા 2,5,8,11,14 એવ 17 કે લિએ
બિલ્ડઅપ એરિયા 41.34 વર્ગ મીટર
કારપેટ એરિયા 32.89 વર્ગ મીટર



Specifications

Location	Floor/painting	Door/window	Other
Drawing cum Bed Room	• Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	
Kitchen	• Ceramic floor Tiles • OBD • 600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with CC kitchen top
Toilet	• Ceramic floor Tiles • C.C. Dado upto 900 mm • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	• W.C. Indian type with one tap • one tap in bath
Balcony/Varandah	• Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure		
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point		
Exterior	Cement Based Exterior Paint		



Specifications

Location	Floor/painting	Door/window	Other
Drawing Room, Bedroom	• Ceramic floor Tiles • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	
Kitchen	• Ceramic floor Tiles • OBD • 600 mm Dado with cement punning	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	One power point and one tap with Kota/Marble kitchen top
Toilet	• Ceramic floor Tiles • C.C. Dado upto 1200 mm • OBD	Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint	Indian W.C/E.W.C with wash basin
Balcony/Varandah	• Ceramic floor Tiles • OBD		One corner wash basin
Structure	Earthquake resistant RCC/Load bearing structure		
Electrical	Standard conduit wiring with switches. One T.V. point		
Exterior	Cement Based Exterior Paint		

रु.10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
शपथ—पत्र

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारीउम्रवर्ष
पुत्र/ पुत्री/ पत्नीनिवासी शपथ पूर्वक
बयान करता/ करती हूँ:

1. मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख विवरण—पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने का वचन देता/ देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/ पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित परियोजना में भवन के आवंटन के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/ रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/ पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/ भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/ भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त कम्पनी को दूँगा/ दूँगी।
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड/ भवन नहीं है।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि गत वित्तिय वर्ष में समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय रु...../- थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
6. मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान—बूझकर कम्पनी को दिया गया है तो कम्पनी को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन:—

मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास में सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

1. योजना का नाम
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) 1. 2.
3. पिता/पति का नाम 1. 2.
4. आयु 1. 2. (संयुक्त आवेदन की दशा में विवरण भरा जायें)
5. पता (अ) वर्तमान पता (प्र व्यवहार हेतु) पिनकोड़ टेलीफोन नं.
- (ब) स्थायी पता पिनकोड़ टेलीफोन नं.
6. आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें) (आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
7. पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
बैंक का नाम शाखा का नाम खाता न. आई एफ एस सी कोड....
8. जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण, दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.)/अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.)
पंजीकरण धनराशि रु0 (शब्दों में) पता.....
9. आवेदक का व्यवसाय वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)

10. आवेदक के परिवार के उत्तराधिकारियों/ नामानिर्देशितों सदस्यों का विवरण –

नाम	पिता/पति	आयु	सम्बन्ध
1.
2.
3.
4.

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी समस्त नियम एवं शर्तों को जो शासनादेश संख्या—..... में दिए गए हैं को भली—भांति पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य हूँ। मैं/हम ये भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना अथवा सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो विकासकर्ता कम्पनी को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

आवेदकों/आवेदक के हस्ताक्षर
संलग्नक :

1.	1. नाम
2.	1. नाम
3.
4.

दिनांक

बैंक के प्रयोग हेतु

ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम/शाखा.....
धनराशि रु0 विकासकर्ता कम्पनी के खाते में धनराशि जमा होने की तारीख.....

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु

पंजीकरण का दिनांकआवंटित पंजीकरण संख्या.....आवंटित भवन संख्या.....
आवंटन पत्र संख्या.....एवं निर्गत होने की तिथि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम स्पष्ट अक्षरों में

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

आवेदक का
नवीनतम फोटो
अनिवार्य है।

घोषणा—पत्र

1. मैं / हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयरक बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री) के पास इलाहबाद नगर में, प्रयागराज विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्/अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू—राजस्व की भाँति मुझसे वसूल कर ले।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन—पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य होगा।

साक्षी

आवेदक के हस्ताक्षर



* Map not to scale



ओमेक्स लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय
पंचम रियलकान प्रा.लि.
प्रथम तल 56/ए/56बी, आदर्श स्कवायर,
सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स,
प्रयागराज 211001

कॉर्पोरेट कार्यालय

7, एल. एस. सी., कालकाजी, नई दिल्ली
मोबाइल +91 9999999835
वेबसाइट www.omaxe.com